संख्या-315/2024/1075/23-9002(002)/7/2022

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 26 नवम्बर, 2024**

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0 एफ0 योजनान्तर्गत जनपद बागपत में बागपत-मुरादनगर मार्ग व दिल्ली शाहादरा-सहारनपुर के रेल सेक्शन के किमी 28/9-29/0 ग्राम अहेडा के निकट सम्पार सं0-25सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य की पुनरीक्षित लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-706/पुनआगणन-बागपत(सम्पार सं0-25सी)/सेतु-6/24-25, दिनांक 24.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-173/2023/1075/002-23-9002(002)/7/2022, दिनांक 08.07.2023 द्वारा जनपद बागपत में बागपत-मुरादनगर मार्ग व दिल्ली शाहादरा-सहारनपुर के रेल सेक्शन के किमी 28/9-29/0 ग्राम अहेडा के निकट सम्पार सं0-25सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु परियोजना हेतु लागत की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-57/83 के अधीन नाबार्ड वित्त पोषित आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद बागपत में बागपत-मुरादनगर मार्ग व दिल्ली शाहादरा-सहारनपुर के रेल सेक्शन के किमी 28/9-29/0 ग्राम अहेडा के निकट सम्पार सं0-25सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु परियोजना हेतु पूर्व स्वीकृत लागत रू0 2677.86 लाख में जी0एस0टी0 की दरों में वृद्धि होने, यूटिलिटी शिफ्टिंग तथा मुख्य(सेतु) रेलवे पोर्शन में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि के दृष्टिगत व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.08.2024 में अनुमोदित लागत रू0 38,30,86,000/- (रूपये अड़तीस करोड़ तीस लाख छियासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र.	जनपद	कार्य का नाम	मूल स्वीकृति का शासनादेश	पूर्व स्वीकृत लागत	पुनरीक्षित लागत
1	2	3	4	5	6
1	बागपत	बागपत-मुरादनगर मार्ग व दिल्ली शाहादरा-सहारनपुर के रेल सेक्शन के किमी 28/9-29/0 ग्राम अहेडा के निकट सम्पार सं0-25सी पर 02 लेन रेल उपरिगामी सेतु के निर्माण कार्य।	173/2023/1075/002-23-9002(002)/7/2022, दिनांक 08.07.2023	2677.86	3830.86

(1) विभाग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रशासकीय विभाग की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) विभाग व्यय वित्त समिति द्वारा लगायी गयी शर्तों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनु02 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-74(4)/75/2011 दिनांक 25 जनवरी 2011 के अनुसार लोक निर्माण विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट करके विभाग द्वारा जमा की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) मूल्यह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी।

(10) प्रायोजना में भूमि अध्याप्ति का प्राविधान किया गया है। अतः भूमि का क्रय प्रशासकीय विभाग द्वारा सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश्य से किया गया है। प्रभाग का मत है कि प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जाय।

(12) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों के आधार पर परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/विभाग का होगा।

(13) विभाग द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(14) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रशासकीय विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(15) विभाग द्वारा सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(16) प्रशा0 विभाग द्वारा वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं यथा संशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024, दिनांक 19 जून, 2024 में वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(17) प्रायोजना के अन्तर्गत रेलवे विभाग द्वारा मुख्य सेतु की मूल स्वीकृत लागत रू0 511.29 लाख थी, जिसे मुख्य सेतु में बढ़ोत्तरी के कारण लागत रू0 1443.64 लाख करने, यूटिलिटी शिफ्टिंग के अंतर्गत क्रमश: विद्युत विभाग हेतु रू0 109.90 लाख व वन विभाग हेतु रू0 53.87 लाख की लागत के सापेक्ष क्रमश: रू0 107.72 लाख व रू0 53.70 लाख अनुमन्य किया गया है। विभाग द्वारा उक्त कार्यमदों का विस्तृत आगणन गठित कराकर तथा सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त निर्माण कार्य कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(18) प्रायोजनान्तर्गत अवशेष कार्यों पर 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि अनमुन्य कर दी गयी है। विभाग द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(19) आर0ओ0बी0 निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन आर0आई0वाल एबेटमेंट आदि में परिवर्धन/परिवर्तन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

2- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-8-414-X-2024-25, दिनांक 22.11.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।।

भवदीय
शिव कुमार
अनु सचिव।

संख्या- उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4. मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
5- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
9- महाप्रबंधक रेलवे, संबंधित जोन द्वारा मुख्य अभियंता(सेतु) लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- उप महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
11- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
12- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)।
13- राज्य योजना आयोग अनुभाग1/2
14- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
15- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।

आज्ञा से,
शिव कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।